न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 26/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/55

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
विकास अधिकारी, पचांयत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत सारण 2. स्व. दुरगाराम पुत्र पना कुम्हार निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन (बाबुलाल पुत्र दुरगाराम प्रजापत व लक्ष्मणराम पुत्र दुरगाराम प्रजापत)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29/01/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 08 दिनांक 23.08.1970 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 स्व. दुरगाराम पुत्र पना कुम्हार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 04.11.1970 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रेकर्ड तलब किये जाने पर, रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। प्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित। अप्रार्थी बाबुलाल बावजुद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित। अप्रार्थी लक्ष्मणराम के अधिवक्ता एवं प्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जैर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सारण ने मिसल संख्या 08 दिनांक 23.08.1970 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 स्व. दुरगाराम पुत्र पना कुम्हार के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है जबकि तहसीलदार मारवाड जंक्शन के अनुसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि गैर मुमकीन वाला है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14779/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 की पालना के तहत ग्राम पंचायत सारण में खसरा नम्बर 1028 किस्म गैर मुमकिन श्मशान पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किये है। तहसीलदार मारवाड जंक्शन के पत्रांक 1209 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 1028 में स्थित है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है इसलिये इसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

वक्त बहस उभयपक्ष अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 08 दिनांक 23.08.1970 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 स्व. दुरगाराम पुत्र पना कुम्हार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक

Sd/
अति. जिला कलेक्टर पाली

04.11.1970 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार मारवाड जंक्शन के पत्र दिनांक 03.03.2022 में अनुसार मौजा सारण के खसरा नम्बर 1024, 1028 में किये गये अतिक्रमियों के विरूद्ध दर्ज धारा 91 के प्रकरण दर्ज किये गये तथा मौके पर उक्त खसरों में अतिक्रमियों द्वारा पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। ग्राम पंचायत सारण ने अपने पत्र दिनांक 22.05.2024 के द्वारा अवगत करवाया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 269 – विक्रय की शक्ति से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन के उपनियम 3 के तहत "पंचायत सर्किल के भीतर, कृषि भूमियों, वन भूमियों तथा प्रकृल्प बंजर भूमियां, जो आबादी भूमियां नहीं है, का विक्रय या आवंटन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 या राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा शासित होगी।"

ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता की जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनिय है, ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो हस्तगत पट्टे को सन्देहास्पद बनाती है।

इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 256 से 270 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड भी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं होना, हस्तगत पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। जैर निगरानी पट्टा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी सन्दर्भित नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है या नही ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह पाया है कि जैर निगरानी पट्टा प्रतिबंधित भूमि में जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 08 दिनांक 23.08.1970 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 04.11.1970 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29|01|2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली